कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 1134/2022 बलदेव सिंह सैनी बनाम स्टेट व अन्य में दिए गए निर्णय दिनांक 06.04.2022 के संबंध में प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन को अभिलेख एवं संबंधित सेवा नियमों की स्थिति के संदर्भ में देखा गया।

अपीलार्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अपीलार्थी द्वारा उपनिदेशक, चूरू के आदेश क्रमांक उनिशि/माध्य/चूरू/संस्था–ब/सी.भ.2011/व.अ./2016 दिनांक 27.10.2016 की अनुपालना में दिनांक 03.11.2016 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पर राउमावि, पचार–सीकर में कार्यग्रहण किया गया। संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) जयपुर के आदेश क्रमांक संनि/स्कूल शि./जय./संस्था–2/फा–म.खण्डेलवाल/8602/2017/बलदेव सिंह/2019 दिनांक 11.06.2019 द्वारा कनिष्ठ कार्मिक की कार्यग्रहण दिनांक 26.09.2012 से नोशनल परिलाभ देकर वरिष्ठता वर्ष 2012–13 की राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में स्थायी वरिष्ठता क्रमांक 4519–1 पर नामांकन किया गया है। चूँकि प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की वर्ष 2017–18 की डीपीसी में कनिष्ठ कार्मिकों को चयनित किया गया है, अतः अपीलार्थी को भी प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की वर्ष 2017–18 की डीपीसी में पदोन्नति प्रदान की जावें।

अभ्यावेदन में की गई मांग के संबंध में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश एवं अभिलेख तथा नियमों की स्थिति को देखा गया। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर के समक्ष दायर अपील संख्या 1134/2022 में पारित आदेश दिनांक 06.04.2022 के द्वारा अपील निस्तारित करते हुए यह आदेश पारित किया गया है कि अपीलार्थी अपना अभ्यावेदन प्रतिवादी को प्रस्तुत करें तथा प्रतिवादी प्राप्त अभ्यावेदन विभागीय दिशा–निदेशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में सकारण एवं आख्यात्मक आदेश जारी करते हुए अभ्यावेदन निस्तारित करें। अपीलार्थी द्वारा की जा रही मांग के सम्बंध में संबंधित अभिलेखीय स्थिति एवं नियमों का परीक्षण करने पर यह पाया गया कि नोशनल परिलाभ देय उपरान्त अपीलार्थी का नामांकन इस कार्यालय के आदेश दिनांक 26.08.2019 द्वारा द्वितीय वेतन श्रृखला अध्यापकों की चयन वर्ष 2012–13 हेतु निर्मित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में वरिष्ठता क्रमांक 4519–1 पर स्नातकोत्तर भूगोल की योग्यता के साथ किया गया है। चूँकि अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर दिनांक 03.11.2016 को कार्यग्रहण किया गया है तथा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की वर्ष 2017–18 की डीपीसी की प्रारम्भ तिथि 01.04.2017 को ये वरिष्ठ अध्यापक पद का 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन पीरियड) ही पूर्ण नहीं करते है, अतः ये राजस्थान शिक्षा सेवा नियम–1970 के प्रावधानान्तर्गत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) होने के कारण उच्च पद पर पदोन्नति हेतु सम्मिलित किए जाने हेतु पात्रता नहीं रखते है। अतः अपीलर्थी के द्वारा कनिष्ठ कार्मिकों के समान प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के प्रति चयनित किए जाने संबंधी की जा रही माँग नियमानुसार विचार योग्य नहीं बनती है।

अतः अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में प्रस्तुत तथ्यों का अभिलेखीय एवं नियमों की स्थिति के परिप्रेक्ष्य में गहनतापूर्वक परीक्षण, मनन एवं विचारण करने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलार्थी द्वारा प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की वर्ष 2017–18 की डीपीसी की प्रारम्भ तिथि 01.04.2017 तक वरिष्ठ अध्यापक पद का 02 वर्ष का परिवीक्षाकाल (प्रोबेशन पीरियड) पूर्ण नहीं करने एवं नियमानुसार पात्रता सूची में सम्मिलित योग्य नहीं पाए जाने के आधार पर इनके द्वारा कनिष्ठ कार्मिकों के समान प्राध्यापक(स्कूल शिक्षा) भूगोल की वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के प्रति चयनित किए जाने संबंधी की जा रही माँग नियमानुसार स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकृत की जाकर अभ्यावेदन खारिज किया जाता है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–माध्य/संस्था/डीपीसी/प्रभाग–1/अपील सं–1134/2022 दिनांक 06/04/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा राजस्थान, जयपुर
2. संयुक्त विधि परामर्शी, शिक्षा(विधि प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान, ~~जोधपुर~~ जयपुर
3. उप शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संबंधित संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा) जयपुर
5. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक–विधि) जयपुर
6. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
7. अनुभाग अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्यालय हाजा
8. प्रधानाचार्य, राउमावि पचार सीकर (रजिस्टर्ड)
9. संबंधित अपीलार्थी श्री बलदेव सिंह सैनी (वरि॰अध्यापक) राउमावि पचार सीकर (रजिस्टर्ड)
10. रक्षित पत्रावली

जिला शिक्षा अधिकारी(डीपीसी),
माध्यमिक शिक्षा–राजस्थान,
बीकानेर